प्रमाणीकृत

भारत प्रवासन केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट (2022-2023)

तीसरी मंजिल, इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,

वी.के. कृष्ण मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,

नई दिल्ली-110001

www.icm.gov.in

icm@mea.gov.in

विषय-सूची

खंड	विषय	पृष्ठ सं.
I	पृष्ठभूमि	3
II	संस्था के बहिर्नियम	4
III	विशेषज्ञता के क्षेत्र	6
IV	शासकीय संरचना	6
V	वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की गई गतिविधियाँ	8
VI	आईसीएम प्रशिक्षुता कार्यक्रम 2022-23 में	10
VII	वित्त एवं प्रशासनिक संबंधी मामले 2022-23	10
VIII	शासी परिषद के सदस्य	13
IX	भारत प्रवासन केंद्र के कर्मचारी	14
X	तस्वीरें	15
XI	तुलन-पत्र	18

भारत प्रवासन केंद्र

1. पृष्ठभूमि

भारत प्रवासन केंद्र (आईसीएम) एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए स्वायत्त निकाय एवं थिंक टैंक का कार्य करता है। भारत प्रवासन केंद्र की स्थापना जुलाई 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से की गई थी। यह केंद्र भारतीय लोगों के विदेशों में आवागामन को सुविधाजनक बनाने हेतु सुसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए अच्छी तरह से सूचित नीति बनाने में मदद करने और रणनीतिक हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक एवं नीति संबंधी अनुसंधान एवं अच्छी कार्यप्रणाली का दस्तावेजीकरण करने के लिए कई परियोजनाएं संचालित करता है।

भारत प्रवासन केंद्र भारत में अपनी तरह का एकमात्र अनुसंधान संस्थान है जो विशेषतः भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के कल्याण एवं सुरक्षा सहित अन्य समस्याओं की निगरानी एवं अनुसंधान करने हेतु समर्पित है। यह केंद्र विदेश मंत्रालय से अनुदान-सहायता प्राप्त करने वाला निकाय है और पूरी तरह से इसके द्वारा ही वित्त पोषित है।

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत प्रवासन केंद्र की वित्तीय स्थिति का 18.9.2023 से 22.9.2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रमाणन लेखपरीक्षा की गई थी।

2. संस्था के बहिर्नियम

संस्था के बहिर्नियम (एमओए) आईसीएम के रोज़मर्रा के संचालन हेतु नियम एवं विनियम का प्रावधा करते हैं।

2.1 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कार्य:

1. विदेश में उभरते देश/क्षेत्र विशिष्ट में रोजगार के अवसरों पर एक डेटाबेस का सृजन करना और बनाए रखना।

2. विदेशी श्रम बाजारों में श्रम आपूर्ति में अंतराल तथा उन अंतरालों को भरने के लिए भारतीय कामकारों के लिए आवश्यक कौशल को चिन्हित करना।

3. पेशेवर निकायों तथा निजी क्षेत्र के परामर्श से कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन हेतु कार्यक्रम शुरू करना और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

4. विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू करना।

5. राज्य जनशक्ति विकास निगमों, परियोजना में जनशक्ति के आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी नियोक्ताओं सहित अन्य रोजगार संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

6. अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के रुझानों एवं बदलावों, भारत तथा विदेशों में प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण शुरू करना एवं समर्थन करना, अपने श्रमिकों को भेजने वाले अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को चिन्हित करना और नीतिगत पहलों/रणनीतियों की सिफारिश करना।

7. इस उद्देश्य हेतु कल्याण निधि की संस्थागत व्यवस्था सहित प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए जरूरत-आधारित कल्याण सहायता का प्रबंधन करना।

2.2 संस्था के बहिर्नियम के अनुसार मुख्य उद्देश्य

भावी प्रवासी भारतीय कामगारों को निजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के 'उपभोक्ता' के रूप में स्थापित करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजारों पर अध्ययन कराना और भारतीय युवाओं के लिए उभरते विदेशी रोजगार अवसरों की पहचान करना

भारत को कुशल, प्रशिक्षित एवं योग्य श्रमिकों के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना

भारतीयों के लिए विदेशों में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मध्यम अवधि से लेकर दीर्घकालिक अवधि तक की रणनीति तैयार करने और निष्पादित करने हेतु एक 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ारों के रुझानों के साथ-साथ अपने श्रमिकों को भेजने वाले और उनको रोजगार देने वाले विभिन्न देशों की रणनीतियों की नियमित निगरानी, अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

विशिष्ट राज्यों/देश एवं लिंग हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण सामग्री को अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना।

श्रम आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और उसे कायम रखना।

प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याण योजनाओं का संचालन करना।

3. विशेषज्ञता के क्षेत्र

प्रमुख कार्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर, यह केंद्र विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन
- प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन और कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवासन नीति एवं प्रवासन का संचालन
- प्रवासन प्रबंधन
- प्रवासन प्रेषण एवं विकास
- महिला प्रवासी श्रमिक
- भारतीयों के लिए श्रम बाजार एवं संभावित अवसर
- सूचना प्रसार एवं जागरूकता अभियान
- विदेश में भारतीयों के सुरक्षित, कानूनी एवं मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे

4. शासकीय संरचना

केंद्र में शासी निकाय और कार्यकारी निदेशालय नामक दो स्तरीय निकाय हैं।

शासी निकाय का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) करते हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं।

इसके अन्य पदेन सदस्य हैं -

क. सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय

ख. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

ग. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और

घ. बारी-बारी से तीन राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

ङ. सरकार द्वारा बाहरी नामांकित व्यक्ति के रूप में चार विशेषज्ञ

कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशालय में सीईओ तथा कर्मचारी शामिल हैं। संयुक्त सचिव [ओआईए-आई], विदेश मंत्रालय, भारत प्रवासन केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।

शासी परिषद और कार्यकारी निदेशालय के अलावा, संस्था के बहिर्नियम के ज़रिए शासी परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन हेतु अनुसंधान/निगरानी, वित्त एवं प्रशासनिक समितियों का प्रावधान किया जाता है।

4.1 शासी परिषद की बैठकें

भारत प्रवासन केंद्र की शासी परिषद की वित्त वर्ष 2021-22 तक 12 (बारह) बार बैठक हो चुकी है। इन बैठकों की तारीखें तथा स्थान नीचे दर्शाए गए हैं:

बैठक	तारीख	स्थान
I	04.09.2008	नई दिल्ली
II	04.02.2009	नई दिल्ली
III	18.10.2011	नई दिल्ली
IV	04.10.2012	नई दिल्ली
V	22.05.2015	नई दिल्ली
VI	04.12.2015	नई दिल्ली
VII	13.02.2017	नई दिल्ली
VIII	06.12.2018	नई दिल्ली

IX	17.12.2020	नई दिल्ली
X	30.09.2021	नई दिल्ली
XI	25.05.2022	नई दिल्ली
XII	22.07.2022	नई दिल्ली

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईसीएम को आईसीडब्ल्यूए के तहत एक निकाय के रूप में पुनर्गठित करने के सरकार के फैसले के अनुसार शासी परिषद की 12वीं बैठक आईसीएम के शासी निकाय की आखिरी बैठक थी। भारत प्रवासन केंद्र को 1 अगस्त 2022 से आईसीडब्ल्यूए के तहत विलय कर दिया गया था। आईसीडब्ल्यूए में बनाया गया नया केंद्र प्रवासन, गतिशीलता एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र है।

4.2 कर्मचारी

भारत प्रवासन केंद्र में वर्तमान में 3 स्टाफ सदस्य हैं। उन्हें संगठन की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है। उन्हें एक या दो साल के अनुबंध पर भर्ती किया जाता है, जिसे उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जाता है।

आईसीएम कार्य के दो क्षेत्रों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं प्रवासी भारतीयों पर शोध और प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण में भी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करता है।

5. वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की गई गतिविधियाँ

क. 'भारत में डेटा-सूचित और प्रवासी-केंद्रित प्रवासन प्रबंधन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण' पर आईओएम के साथ सहयोग परियोजना

इसके अलावा, भारत प्रवासन केंद्र 'भारत में डेटा-सूचित और प्रवासी-केंद्रित प्रवासन प्रबंधन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण' पर आईओएम के साथ सहयोग परियोजना में की गई गतिविधियों में शामिल था। 23 मार्च 2021 को सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) द्वारा लॉन्च की गई यह परियोजना प्रवासन

डेटा का उपयोग करने वाले सभी निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में सरकार की क्षमताओं का समर्थन और सृजन करने पर केंद्रित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासन प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करके भारतीय प्रवासियों के लिए श्रम प्रवास के अवसरों तक पहुंच में सुधार करने में योगदान देना है।

ख. वैश्विक प्रवासन समझौते के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय परामर्श

भारत प्रवासन केंद्र ने 6 मई 2022 को प्रवासन पर वैश्विक समझौते को लागू करने पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस बहु-हितधारक परामर्श को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा संगोष्ठी (आईएमआरएफ) की तैयारी करने की प्रक्रिया के तौरपर आयोजित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की स्थिति को सामने रखने समय सभी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी अच्छी प्रथाएं/ पहल शामिल की जा सके।

ग. संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा संगोष्ठी में भागीदारी

सीएओ, आईसीएम न्यूयॉर्क (17-22 मई) में आयोजित पहले आईएमआरएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं। उन्होंने संगोष्ठी के हिस्से के रूप में आयोजित सभी सत्रों में भाग लिया।

घ. संगोष्ठी और समिति चर्चाएँ

शोध की नई पहल के अंतर्गत, आईसीएम नियमित रूप से विभिन्न समिति चर्चा/परामर्श आयोजित करता रहा है। आईसीएम ने 14 जुलाई 2022 को यूरोपीय संघ में भारतीय महिलाओं के प्रवासन

पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में शुरुआती भाषण सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) द्वारा दिया गया था।

ङ. प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण पर संदर्भ सामग्री

प्रवासी श्रमिकों के प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से आईसीएम द्वारा निम्नलिखित संदर्भ सामग्री को अद्यतन किया गया था -

क्र.सं.	मद	बोली
1	प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण मैनुअल	अंग्रेज़ी

च. आउटरीच गतिविधियाँ

विदेश मंत्रालय (एमईए) और आईसीएम ने अंतरराष्ट्रीय श्रम बल की बदलती आवश्यकताओं एवं भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कार्य-क्षेत्र पर जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों के साथ निम्नलिखित हितधारक संबद्धता का आयोजन किया।

1	5-6 जुलाई 2022	प्रवासन एवं गतिशीलता पर त्रिपुरा के साथ हितधारकों की संबद्धता

इसके अलावा सीएओ, आईसीएम को क्रमशः 8 और 28 अप्रैल 2022 को वैश्विक प्रवासन शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए भारतीय सोसायटी में मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एवं शरणार्थी कानूनों में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 28-29 जुलाई 2022 तक श्रम प्रवासन पर एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। सीएओ आईसीएम ने राष्ट्रीय परामर्श में एक पैनल चर्चा का संचालन किया जबकि आईसीएम टीम ने चर्चा में हिस्सा लिया।

6. आईसीएम में प्रशिक्षुता कार्यक्रम 2022-23

वर्ष के दौरान जिन प्रशिक्षुओं का चयन किया गया उनमें श्री अभिषेक यादव, श्री धनंजय ठाकुर, सुश्री लक्ष्मीप्रिया पीबी, श्री कार्तिकेय विपुल मिश्रा और सुश्री ओनमोना दास शामिल थे। आईसीएम के अध्यक्ष की मंजूरी से जून 2022 में इंटर्न (प्रशिक्षु) का पदनाम बदलकर रिसर्च एसोसिएट्स (अनुसंधान सहयोगी) कर दिया गया।

7. वित्त एवं प्रशासनिक संबंधी मामले 2022-23

क. आयोजित की गईं प्रमुख बैठकें

आईसीएम की वित्त समिति की 9वीं बैठक 16 जून 2022 को आयोजित की गई थी। समिति ने आईसीएम द्वारा आयोजित सेमिनारों एवं पैनल चर्चाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति का संज्ञान लिया। बैठक के दौरान आईसीएम के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई और आईसीएम के वार्षिक खातों को मंजूरी दी गई।

ख. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखा का अनुमोदन

वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों को आईसीडब्ल्यूए की वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। वी.डी. तिवारी एंड कंपनी को पुनः वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएम के खातों का संकलनकर्ता नियुक्त किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की आंतरिक लेखापरीक्षा का

कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट वित्त समिति के सामने प्रस्तुत की गई है और अनुमोदित की गई है।

ग. एफसीआरए पंजीकरण

1 अगस्त, *2022* से आईसीएम का आईसीडब्ल्यूए में विलय होने के साथ, एफसीआरए पंजीकरण को त्यागने के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है।

घ. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा लेखापरीक्षा

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आईसीएम 14.7.2022 से 19.7.2022 तक प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा की गई थी।

ङ. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान

आईसीएम एक अनुदान सहायता प्राप्त करने वाली संस्था है जो पूर्णतः विदेश मंत्रालय से वित्तपोषित है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईसीएम को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आईसीएम के पास प्रतिबद्ध परियोजनाओं के लिए पिछले आवंटन से ही निधि उपलब्ध थी और उसे आईसीएम द्वारा भविष्य में उपयोग हेतु कॉर्पस फंड में रूपान्तरित कर दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक आईसीएम के पास उपलब्ध निधि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं	खाते का नाम	खाता सं.	31 मार्च, 2023 को शेष राशि (रुपए में)
1	आईसीएम केनरा बैंक - मुख्य खाता	91462010024313	खाता बंद
2	आईसीएम केनरा बैंक - ओटीएफ खाता	91462010026206	शून्य

3	आईसीएम केनरा बैंक इंडिया-ईयू खाता	91462010027675	खाता बंद

वित्त वर्ष *2022-23* के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते का विवरण नीचे दिया गया है*:*

प्राप्तियाँ आय	***मात्रा (रु.)***	***राशि प्राप्तियाँ***	***राशि (रु.)***
सरकार से प्राप्त अनुदान	*0*	*टीडीएस*	*1,11,170*
बैंक का ब्याज ***आईसीएम खाता: 1,33,360*** ***ईयू खाता: शून्य*** ***ओटीएफ खाता: 89*** ***एफडी पर ब्याज: 4,58,977*** ***आय पर ब्याज*** ***टैक्स रिफंड: 6,639*** ***सावधि जमा: 3,73,14,686***	*3,79,13,751*	*अचल परिसंपत्तियां*	*-*
अन्य आया प्राप्तियाँ	*1,02,691*	*कर्मचारियों को वेतन*	*12,98,671*
उप योग	***3,80,16,442***	*प्रशिक्षुओं को वजीफा*	*4,29,290*
		किराए पर लिए गए वाहन का शुल्क	*31,100*
		सेमिनार का व्यय	*-*
		भर्ती एवं विज्ञापन व्यय	*-*
		आउटसोर्स कर्मचारी	*1,83,221*
		पैनल/पीडीओटी चर्चा	*-*
		मुद्रण एवं स्टेशनरी	*10,376*
		विविध व्यय	*3,53,912*
		मरम्मत एवं रखरखाव	*-*
		जीएजी लेखापरीक्षा शुल्क	*3,150*
		आईसीडब्ल्यूए को स्थानांतरण	*4,52,63,905.96*
		उप योग	***4,76,84,796***
		सावधि जमा	***-***

बैंक ***आईसीएम खाता: 96,65,278*** ***ईयू खाता: शून्य*** ***ओटीएफ खाता: 2,543*** ***नकद :533***	*96,68,354*	***बैंक*** ***आईसीएम खाता: शून्य*** ***ईयू खाता: शून्य*** ***ओटीएफ खाता: शून्य*** ***नकद: शून्य***	**-**
कुल	***4,76,84,796***	***कुल***	***4,76,84,796***

8. शासी परिषद के सदस्य 2022-23

पदेन सदस्य

1. सचिव, सीपीवी एंड ओओआईए, विदेश मंत्रालय-अध्यक्ष
2. सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) या प्रतिनिधि
3. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या प्रतिनिधि (एमओएलएंडई) या प्रतिनिधि
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, या प्रतिनिधि
5. सीईओ, आईसीएम-सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव, ओआईए-आई, एमईए)

राज्य सरकारें

1. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार या प्रतिनिधि
2. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार या प्रतिनिधि
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार या प्रतिनिधि

मनोनीत विशेषज्ञ

1. श्री. श्याम के. जी. परांडे, महासचिव, एआरएसपी, नई दिल्ली
2. डॉ. अमरजीव लोचन, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. सुश्री गायत्री कंठ, परियोजना अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन
4. श्री. यूसुफ ऐल, अध्यक्ष और एमडी, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, यूएई

9. भारत प्रवासन केंद्र के कर्मचारी

1.	डॉ. सुरभि सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मु.प्र.अ.)
2.	श्री अरुण कुमार	लेखा अधिकारी (ले.अ.)
3.	डॉ. गाथा नौटियाल	अनुसंधान सहायक (अ.स.)
4.	सुश्री लक्ष्मीप्रिया पी.बी.	प्रशिक्षु (जून 2022 में पदनाम बदलकर रिसर्च एसोसिएट कर दिया गया)
5.	श्री अभिषेक यादव	प्रशिक्षु (जून 2022 में पदनाम बदलकर रिसर्च एसोसिएट कर दिया गया)
6.	श्री कार्तिकेय मिश्रा	प्रशिक्षु (जून 2022 में पदनाम बदलकर रिसर्च एसोसिएट कर दिया गया)
7.	सुश्री ओनमोना दास	प्रशिक्षु (जून 2022 में पदनाम बदलकर रिसर्च एसोसिएट कर दिया गया)
8.	मैसर्स एंटरप्राइजेज/स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक (प्रा.) लि.	कार्यालय परिचारक
9.	सुश्री सपना	वेबसाइट रखरखाव हेतु अकाल द्वारा नियुक्त

10. तस्वीरें

14 जुलाई 2022 को यूरोपीय संघ में भारतीय महिलाओं के प्रवासन पर आयोजित सेमिनार

6 मई 2022 को आयोजित जीसीएम कार्यान्वयन की दिशा में भारत की प्रगति पर राष्ट्रीय परामर्श

5-6 जुलाई 2022 को त्रिपुरा में राज्य आउटरीच

विवरण पुस्तिका

सांख्यिकीय बेसलाइन रिपोर्ट

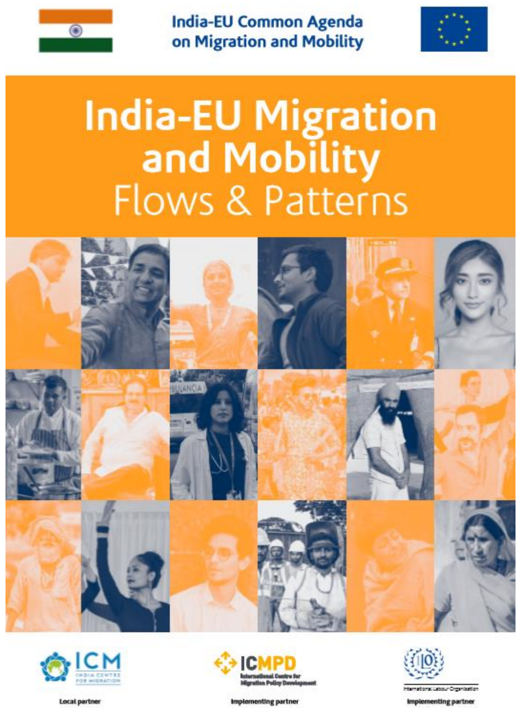

11. तुलन-पत्र

भारत प्रवासन केंद्र

तीसरी मंजिल, इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिल्डिंग,

वी.के. कृष्ण मेनन भवन, 9 भगवान दास रोड,

नई दिल्ली-110001

31-मार्च-2023 को तुलन-पत्र

	विवरण	अनुसूची	31-मार्च-2023 को		31-मार्च-2022 को		
I.	**कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं**						
1	**कॉर्पस निधि**	1	20,93,624	20,93,624	5,21,73,364	5,21,73,364	

2	निर्धारित/ एकमुश्त निधि						
	सहायता अनुदान	2	-	-	-	-	
3	चालू देयताएँ						
	(क) अन्य चालू देयताएँ	3	2,56,603		2,56,185		
	(ख) प्रतिभूति जमा		-	2,56,603	-	2,56,185	
	कुल			**23,50,227**		**5,24,29,549**	
II.	**<u>परिसंपत्ति</u>**						
1	अचल परिसंपत्तियां	4	21,01,973		21,01,973		
	संलग्न सूची के अनुसार			21,01,973		21,01,973	
2	सावधि जमा				3,76,14,216	3,76,14,216	
3	चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि						
	(क) ऋण एवं अग्रिम	5			23,21,053		
	(ख) जमा	6	2,48,254	2,48,254	5,20,554	28,41,607	
	© *उपार्जित ब्याज*					41,43,186	
4	(ग) नकद एवं बैंक शेष	7	-	-	96,68,354	96,68,354	
	कुल			**23,50,227**		**5,24,29,549**	
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	11					

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में						
वीडी तिवारी एंड कंपनी के लिए				**भारत प्रवासन केंद्र के लिए**		
सनदी लेखाकार						
एफआरएन 002882एन						
सी.ए. पुष्पिंदर तिवारी				**श्री अब्बागानी रामू**		
सहयोगी				(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)		
एम. नं. 503170						
स्थान: नई दिल्ली						
तिथि:						